न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रार्थना पत्र मुन्त0/97/2024

हरवीर पुत्र श्यामा जाति जाट निवासी अग्निपुरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–श्रीमति गंगा पुत्री निहालसिंह पत्नि नरेन्द्र जाति जाट निवासी ग्रांम हुलियाना तहसील कठूमर जिला अलवर
2–श्रीमती श्रीमती पुत्री निहालसिंह पत्नि धर्मसिंह जाति जाट निवासी हुलियाना तहसील कठूमर
3–हिम्मतसिंह पुत्र निहालसिंह
4–जीवन पुत्र विक्रमसिंह
5–लक्ष्मनसिंह पुत्र विक्रमसिंह
6–राजेन्दसिंह पुत्र चेतराम
7–महेन्द्र सिंह पुत्र चेतराम
8–महावीरसिंह पुत्र चेतराम
} जाति जाट निवासी अग्निपुरा तहसील नदबई
9–दुर्गा पुत्री गोपी (मृतक) पत्नि हरवंश जाति जाट निवासी दिल्ली वाई पास वाया छटीकरा मोड, मथुरा
10–निधि पुत्री गोपी पत्नि पल्टू जाति जाट वाई पास बाया छटीकरा मोड मथुरा
11–कुलदीप पुत्र गोपी जाति जाट निवासी अग्निपुरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
12–दिनेश पुत्र गोपी जाति जाट निवासी अग्निपुरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
13– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई श्री गंगाधर मीना व मुकदमा उनवानी निहालसिंह आदि बनाम हरवरी आदि अंतर्गत धारा 53,54,188 आर.टी.एक्ट मुकदमा सं0 115/2021

———

उपस्थितः–
1–श्री गंगाराम शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री गोबिन्दसिंह डागुर, अभिभाषक अप्रार्थी ,

निर्णय **दिनांक 06.08.2025**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. व खिलाफ एस.डी.ओ. नदबई के इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है। एक दावा निहालसिंह वगे. बनाम हरवीर वगे. धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एस.डी.ओ. नदबई न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

द्वारा दिनांक 4.5.2016 को प्राथमिक डिग्री पारित की गई। कुर्रा रिपोर्ट प्राप्त कर दावा दिनांक 21.6.2016 को डिग्री कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 21.6.2016 के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील दायरी की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16.4.2018 में एस.डी.ओ.नदबई का निर्णय दिनांक 21.6.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण एस.डी.ओ. नदबई को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि तहसीलदार की व्यक्तिगत उपस्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुरेजात तैयार किये जावें एवं उभय पक्ष को आपत्ति पेश करने का अवसर देते हुये युक्तियुक्त आदेश पारित किया जावे। एस.डी.ओ. नदबई ने तहसीलदार से पुनः कुरे तलब किये गये। प्रार्थी का आरोप है कि हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर कुरे बनाये जाने बाबत कोई सूचना प्रार्थी को नहीं दी, बिना मौके पर जाये हल्का पटवारी ने कुरे बना दिये गये। हल्का पटवारी एवं गिर्दावर ने राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है जिसमें स्पष्ट आदेश था कि नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुरे बनाये जावें। हल्का पटवारी ने अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर कुरे नहीं बनाये गये हैं, सह खातेदारी की आराजी का कुछ रकवा सडक के किनारे है लेकिन कुरेजात रिपोर्ट में सड़क के किनारे की आराजी में प्रार्थी का कोई रकवा अंकित नहीं किया है। अप्रार्थीगण/वादीगण ने पटवारी से साज करके सड़क की समस्त आराजी को अप्रार्थीगण के कुरे में दर्शाया है, प्रार्थी का यह भी आरोप है कि अप्रार्थीगण ने सड़क के किनारे की आराजी को बेचने का भू माफियाओं से इकरारनामा कर लिया है इसलिये दावा डिक्री होते ही सड़क किनारे की आराजी का बेचान कर दिया जावेगा। उपखण्ड अधिकारी नदबई ने पटवारी द्वारा प्रार्थी को बिना सूचना दिये व मौके पर गये कुरे बनाने की सही बताया है इसलिये उनसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पटवारी एवं उपखण्ड अधिकारी नदबई के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से अप्रार्थीगण ने सड़क के किनारे जमीन को बेचने का सौदा किया है इसलिये पीठासीन अधिकारी श्रीगंगाधर मीना एस.डी.ओ. नदबई से न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है, इसलिये एस.डी.ओ. नदबई के यहॉ विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रार्थना पत्र पर एस.डी.ओ. नदबई से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि एक दावा निहालसिंह वगे. बनाम हरवीर वगे. धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एस.डी.ओ. नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 21.6.2016 के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील दायर की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

दिनांक 16.4.2018 में एस.डी.ओ.नदबई का निर्णय दिनांक 21.6.2016 निरस्त कर प्रकरण एस.डी.ओ.नदबई को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि तहसीलदार की व्यक्तिगत उपस्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुरेजात तैयार किये जावें एवं उभय पक्ष को आपत्ति पेश करने का अवसर देते हुये युक्तियुक्त आदेश पारित किया जावे। योग्य अभिभाषक का आरोप है कि हल्का पटवारी गिर्दावर ने बिना प्रार्थी को सूचना दिये बिना मौके पर जाये कुरे रिपोर्ट तैयार कर दी गई है, यह कुरेजात रिपोर्ट बनाने की सूचना हल्का पटवारी ने प्रार्थी को टेलीफोन पर दी गई। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि हल्का पटवारी एवं गिर्दावर ने राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है जिसमें स्पष्ट आदेश था कि नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुरे बनाये जावें। हल्का पटवारी ने अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर कुरे नहीं बनाये हैं, सह खातेदारी की आराजी का कुछ रकवा सड़क के किनारे है लेकिन कुरेजात रिपोर्ट में सड़क के किनारे की आराजी में प्रार्थी का कोई रकवा अंकित नहीं किया है। अप्रार्थीगण/वादीगण ने पटवारी से साज करके सड़क की समस्त आराजी को अप्रार्थीगण के कुरे में दर्शाया है, प्रार्थी का यह भी आरोप है कि अप्रार्थीगण ने सड़क के किनारे की आराजी को बेचने का भू माफियाओं से इकरारनामा कर लिया है इसलिये दावा डिक्री होते ही सड़क किनारे की आराजी का बेचान कर दिया जावेगा। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने पटवारी एवं गिरदावर द्वारा बनाये गये गलत कुरे बाबत उपखण्ड अधिकारी नदबई को बताया तो पीठासीन अधिकारी श्रीगंगाधर मीना एस.डी.ओ. नदबई ने पटवारी गिर्दावर द्वारा बनाये गये कुरे सही होना बताया है। इसलिये उनसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना एस.डी.ओ.नदबई के न्यायालय में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में बिना किसी ठोस आधार बिना किसी सबूत के मनगढ़त आरोप लगाये गये हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि अगर प्रार्थी को यह लगता है कि कुरा रिपोर्ट नियमों के तहत नहीं है तो उसे अधिनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. के यहॉ आपत्ति पेश करने का अधिकार है। तहत न्यायालय, आपत्ति का निस्तारण करने के लिये सक्षम है। प्रार्थी का तहत न्यायालय में बिना आपत्ति किये, प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश करना कोई रेमेडी नहीं है। योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा को चलते हुये 11 साल हो चुके है विभाजन का दावा है अभी तक फाईनल निर्णय नहीं हुआ है। प्रार्थी दावा को निर्णय नहीं होने देना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली पेश करने की मंशा भी विचाराधीन दावा को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी नदबई की रिपोर्ट कमांक/रीडर/2025/235 दिनांक 01.05.25 में अंकित किया है कि कुर्रा विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार, गिरदावर एवं हल्का पटवारी के हस्ताक्षर किए हुए है एवं मौतविरान लोगों के भी हस्ताक्षर है। प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया था जो कुर्रा रिपोर्ट में अंकित है। रिपोर्ट में यह भी कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा कुरा रिर्पोट पर आपत्ति पेश की गई है जिस पर अप्रार्थी0 का जबाब आना है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप वेबुनियाद मनगढन्त हैं।

उपखण्ड अधिकारी नदबई की रिपोर्ट से यह निर्विवाद है कि प्रकरण में कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार, गिर्दावर एवं हल्का पटवारी के स्तर पर तैयार की गई है जिस पर सभी के हस्ताक्षर करना बताया गया है तथा प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर नहीं करना जाहिर किया है। यहॉ यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा कुर्रा रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति भी तहत न्यायालय में पेश की हुई हैं जिस पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दू/आरोप बेबुनियाद निराधार रहते हैं, प्रार्थना पत्र मुन्तकिली पेश करने का मकसद प्रकरण को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.08.2025 सरे ईजलास को सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर